दिनांक- 15.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 559/26

महोबा पुलिस

80वां स्वतंत्रता दिवस — महोबा पुलिस ने राष्ट्रसेवा एवं कर्तव्यनिष्ठा के संकल्प के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस...।

- आज दिनांक 15अगस्त 2026 को आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा कैंप कार्यालय महोबा में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को मिष्ठान वितरित कर 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।
- इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को मिष्ठान वितरित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं।
- अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक महोबा ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए पुलिसकर्मियों को गरीब, असहाय एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता कर उनमें सुरक्षा एवं विश्वास की भावना जागृत करने तथा पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायणता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान -

- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीआरवी-112 आपात सेवा के अंतर्गत प्राप्त इवेंट्स पर त्वरित एवं सूझबूझपूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस महानिदेशक, यूपी-112, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- साथ ही जनपद महोबा में सराहनीय कार्य करने वाली स्वॉट/सर्विलांस टीम को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए इसी प्रकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा, अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का आह्वान किया।
- इसी क्रम में पुलिस कार्यालय महोबा में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई तथा उपस्थित पुलिसकर्मियों को मिष्ठान वितरित कर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं।
- जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा भी अपने-अपने सर्किल एवं थाना क्षेत्रों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई तथा मिष्ठान वितरित कर हर्षोल्लास एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
- स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, जनसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और नागरिकों के प्रति सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को और मजबूत करने का संकल्प है।

दिनांक- 15.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 560/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व आत्मनिर्भरता का संदेश

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण):- डर से सुरक्षा तक, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक – हर कदम नारी के सम्मान में महोबा पुलिस !

"बेटियों के हौसले को मिला नया आसमान, मिशन शक्ति से जाग उठी पहचान।"

मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं श्रीमती वंदना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में जनपद की समस्त थाना पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों—181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला शक्ति लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) एवं 1076 (पुलिस कंट्रोल रूम) के बारे में अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया, जिसमें POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी शामिल रही।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक मजबूत करना है।

महोबा पुलिस द्वारा समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

दिनांक- 15.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 561/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राघवेन्द्र राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये भूरा टूडर मोंड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 121/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

उ0नि0 रामकुमार के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त किस्सू उर्फ केश कुमार पुत्र मनीराम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये धवार मोंड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 रोहित कुमार के नेतृत्व में गठित तृतीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र हरीसिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पहाडिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये रिवई मोंड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 123/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.राघवेन्द्र राजपूत पुत्र हरी सिंह राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2.किस्सू उर्फ केश कुमार पुत्र मनीराम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा

3.प्रेमचन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र हरीसिंह राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम पहाडिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा

अभियुक्त किस्सू उर्फ केश कुमार का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0- 122/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकंठ

2.मुअ0सं0 023/2019 धारा 363/366/376D भादवि0 व 6 पाक्सो एक्ट थाना पनवाड़ी,

3.मु0अ0सं0 139/2025 धारा 115(2)/352/331(4) BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना महोबंकठ,

4. मु0अ0सं0 143/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना महोबंकठ,

5. मु0अ0सं0 209/2025 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना महोबंकठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
2. कां0 मनोज कुमार
3. रि0कां0 अवनीश कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकुमार
2. कां0 नितिन कुमार
3. रि0कां0 कौशिक सिंह

तृतीय पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रोहित कुमार
2. हे0कां0 वीर सिंह
3. कां0 अमित कुमार